रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1981/श्रावण 23, 1903
No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1981/SRAVANA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1981

का. नि. आ. 20 (ई) :—सशस्त्र सेना (आपात कर्त्तव्य) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार असम राज्य में बिजली के उत्पादन, सप्लाई, संचालन और वितरण तथा राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन सेवाओं, जलपूर्ति, टेलिग्राफ तथा टेलिफोन सेवाओं के प्रत्येक भाग को या उनसे संबंधित प्रत्येक सेवा को एतद्द्वारा समाज के लिए अत्याधिक महत्व की सेवाएं घोषित करती है ।

[फा. सं. 2(112)/80/रक्षा (जी एस.-1)]

के. ए. नम्बियार संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1981

S.R.O. 20(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service forming part of or connected with generation, supply, operation and distribution of electricity, including the services under State Electricity Board, Water Supply, Telegraphs and Telephone services in the State of Assam to be services of vital importance to the community.

[F. No. 2(112)/80/D(GS.I)]

K. A. NAMBIAR, Jt. Secy.(G).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981